मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 017 / 2023

1. प्रतापकौर पत्नी श्री बैसाखासिंह जाति बावरी निवासी 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– – वादिया

–:बनाम:–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 घोषणा

दिनांक :–

वादिया की ओर से श्री संजीव आहूजा एडवोकेट एवं प्रतिवादी की ओर से राजपैरोकार स्टेट इस वाद में आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र स्वीकार होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 2 एस.जी.आर के खाता सं. 42 / 42 के प.नं. 1 / 317 मु.नं. 54 कुल 3.795 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी के कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम प्रतापी देवी पत्नी श्री बिसाखाराम के स्थान पर प्रतापकौर पत्नी बैसाखासिंह घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 22/07/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.23 15:47:32 IST
Reason: SelfAttested